

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई।

पत्रांक-84521/च./

जमुई, दिनांक-12/06/2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जमुई।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
एम0आई0एस0,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- MIS के MMGSUY (ST) Module में 02 पथों का नाम जोड़ने के संबंध में।

प्रसंग:- विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 698 दिनांक 31.03.25

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा इस प्रमंडलाधीन मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क
उन्नयन योजना (अनसूचिज जनजाति) अन्तर्गत 05 पथों का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। उक्त
पाँच पथों में से 02 पथों (सूची संलग्न) को MMGSUY (ST) Module के Project Entry
Section में Add करने की कृपा की जाय।

अनु0: यथोक्त।

विश्वासभाजन

12/6/25
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जमुई।

Office of the Executive Engineer

RWD (W) Division, Jamui

For adding road in MIS

Sl. No.	Year	District	Works Division	Block	Assembly Constituency	Scheme	Name of Bridge	Package No.	Length (In Km)	AA Letter No. & Date	Cost of Upgradation / Strengthening with Surface (In Lakh)	Cost of 6 Years Operation and Management (In Lakh)	Contingency Amount (In Lakh)	Total Estimated Cost (In Lakh)
1	2024-25	Jamui	Jamui	Jamui	Jamui	MMGSUY (ST)	Garsanda - Sonpe Bukar via Baladih (Missing Link)	NA	2.080	Lt No. 698 Dt. 31.03.25	117.64773	0.000	0.000	117.64773
2	2024-25	Jamui	Jamui	Jamui	Jamui	MMGSUY (ST)	Jamui Jhajha PWD Road to Sonpay	NA	1.294	Lt No. 698 Dt. 31.03.25	73.75647	0.000	0.000	73.75647

24/12/25
Executive Engineer
RWD (W) Division, Jamui



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0310 (अ0310)-4515-01-07/2025 - 648

/पटना, दिनांक- 31-03-2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, ^{भा.स.प.र.क.}
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जनजाति घटक के अधीन कुल 07 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ-5 में अंकित लम्बाई (कि०मी०) एवं स्तम्भ-7 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि रु० 1199.390 लाख रुपये मात्र है, पर (कुल 25 योजना) घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जनजाति घटक के अधीन कुल 05 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तम्भ 07 में अंकित कुल राशि 1199.390 लाख मात्र है पर घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

SL. No	Division	Block	Name of Road	विभागीय रूप से कराये गये कार्य की लम्बाई (कि०मी०)	Const. Of Upgradation/ Strengthening with surface (In lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7
1	Buxar	Simri	Simri Aspatal to Hanuman Mandir	0.950	34.496	34.496
2	Buxar	Simri	Simri Bazar to Mission More	1.500	43.621	43.621
3	Buxar	Simri	Keshopur Water plant ke Andar Helipad to PCC Road tak Path Nirman	0.230	33.477	33.477
4	Buxar	Simri	Purana Bhojpur Simri Path to sonbarsa Via Majhwari, Dulhapur Path	1.300	38.854	38.854
5	Buxar	Simri	Rajpur to Malahchakiya Road via Chhotka Rajpur Shivala Path	1.440	44.822	44.822
6	Buxar	Buxar	Dudharchak to Mission More Via Badka Gaon Nat Path	1.325	43.126	43.126
7	Aurangabad	Deo	Dev to Parihaya Via Ketaki	3.000	3.081	3.081
8	Aurangabad	Deo	MR to Road from Deo More to Kumhar Bigha & five year Maintenance	1.900	7.739	7.739
9	Aurangabad	Deo	Deo to Kachanpur	5.900	3.652	3.652
10	Aurangabad	Nabinagar	Chandragarh to Gajanadham Via Munga Bhagwanpur Tak Road	12.850	42.242	42.242
11	Aurangabad	Nabinagar	T03- Nabinagar to Khajuri Tikka (VRJ)	0.700	4.616	4.616
12	Gopalganj-1	Gopalganj	Const. of Road Khairatla hariharpur Kararia Road and Pot Repair Work in 2.00 KM Part of Yadopur to Thawe Durpa Mandir Road	3.800	119.316	119.316
13	Chakia	Keshariya	Repair of Road From PWD Road to Sundarpur to Yadav Tola	0.664	22.82	22.82
14	Barh	Adimalgola	NII-31-A to New Block Office Adimalgola	0.650	52.974	52.974

ly

AK

Sl. No	Division	Block	Name of Road	विभागीय रूप से करने वाले कार्य की लागत (रुपये)	Cost of Upgradation/ Strengthening with surface (in lakhs)	Total Estimated Cost (in lakhs)
1	2	3	4	5	6	7
15	Madhubani	Kalauli	Repair of Road from Dehali to Shispathi via Dekhat	1.000	101.240	101.240
16	Madhubani	Kalauli	NH to Kanhauli	1.800	11.208	11.208
17	Madhubani	Rajnagar	Fulbanta hat to Bahubani	1.880	10.409	10.409
18	Madhubani	Rajnagar	Border		9.478	9.478
19	Madhubani	Rajnagar	1058-1021 to Bangawan (VR 58)	1.100	67.918	67.918
20	Madhubani	Rajnagar	Kakraul To Kakraul Geth	1.410	117.61773	117.61773
21	Jamui	Jamui	Chakanda Sonpay Dhar Via Bahadri Missing Link	2.080		80.23574
22	Jamui	Jamui	Sonpay Ware House to Labour Superintendent Office & Khimain & Helipad (Sonpay)	1.588	80.23574	80.23574
23	Jamui	Jamui	Khargpur Manjhuway Gao Nawada Road to Ware House (Sonpay)	1.727	117.07762	117.07762
24	Jamui	Jamui	Jamui Jhijha PWD Road to Sonpay	1.294	73.75647	73.75647
25	Jamui	Khairi	Jamui Khuwakel Main Road to Tetariatard Road Helipad & Sabhasthal	0.3667	12.588	12.588
26	Jamui	Khairi	Jamui Khuwakel Main Road to Tetariatard Road Helipad & Sabhasthal	1.00	3.445	3.445
27	Aurangabad	Barun	Jamhaur to Parasia	55.678		1199.399
Total						

- मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष -796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष -0110- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जनजाति), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 37-4515-00-796-0110, मूल बजट उपबंध-75 करोड़ रु0 है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या-मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-97/2025, दिनांक-30.03.25 को प्राप्त है।
- सारणी में अंकित योजना का विभागीय रूप से कराये गये कार्य हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-97/2025 में दिनांक 24.3.25 को पृ0-22/टि0 पर प्राप्त है।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
- संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।

huf

H.K

11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुरांगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उरी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्रावधान की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित राश्यावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 के पृ०-१८/टि० पर दिनांक-31.०७.२५ को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापक- मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 -698 /पटना, दिनांक- 31-03-2025
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापक- मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 -698 /पटना, दिनांक- 31-03-2025
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।